भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2285
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बच्चों का पुनर्वास

2285. डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. क्या सरकार को यूनिसेफ की "स्टेट ऑफ द वल्डर्स र्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024" की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय आपदाओं के कारण देश में बड़ी संख्या में बच्चों के विस्थापन का अधिक जोखिम है;
ख. यदि हां, विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त कारणों से देश में यदि कोई बच्चे विस्थापित हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और
ग. सरकार द्वारा विस्थापन को रोकने और प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे उपायों/पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): यूनिसेफ स्वतंत्र रूप से "स्टेट ऑफ द वल्डर्स" रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है, जिसमें बच्चों से संबंधित मुद्दों, जिनमें पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी कारकों से उत्पन्न होने वाले मुद्दे भी शामिल हैं, पर एक सामान्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य होता है। इन रिपोर्टों में संकलित अंतरराष्ट्रीय डेटासेट के आधार पर विभिन्न देशों के संदर्भ शामिल होते हैं और ये देश-विशिष्ट आधिकारिक रिपोर्टें नहीं होती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (वर्ष 2021 में यथासंशोधित) के लिए नोडल मंत्रालय है, जो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय आपदाओं से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है:

- धारा 2(14) (xi) के अनुसार, कोई बच्चा "जो किसी सशस्त्र संघर्ष, नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा का शिकार है या उससे प्रभावित है" उसे देखरेख और संरक्षण की

आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं (जैसे, बाढ़, चक्रवात, सूखा और इसी तरह की घटनाएं) के कारण विस्थापित या असुरक्षित बच्चे, अधिनियम के अनुसार संरक्षण, देखरेख और पुनर्वास के हकदार हैं।

- जेजे अधिनियम की धारा 30 के तहत, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत देखरेख और पुनर्वास योजनाएं, निगरानी और अनुवर्ती देखरेख प्राप्त हो जिसमें आपदाओं के कारण विस्थापित बच्चें भी शामिल हैं।

- अधिनियम की धारा 39 ऐसे बच्चों के लिए उनकी व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर पुनर्वास और सामाजिक पुर्न एकीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करती है, जिसमें अधिमानतः परिवार-आधारित देखरेख के माध्यम से, जैसे कि परिवार या अभिभावक के पास पुनर्स्थापन, प्रायोजन, गोद लेना या पालन-पोषण देखरेख शामिल हैं। यह उन बच्चों के लिए उपयुक्त संस्थागत देखरेख का भी प्रावधान करती है जिन्हें किसी भी कारण से परिवारों में नहीं रखा जाता है।

- अधिनियम की धारा 53 में सीएनसीपी के रूप में मान्यताप्राप्त विस्थापित बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है, जिन्हें बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रखा जाता है, ताकि उन्हें भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा देखरेख; मनोवैज्ञानिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता; उचित शिक्षा और कौशल विकास; जीवन कौशल; कानूनी सहायता; मनोरंजक गतिविधियाँ; प्रत्येक बच्चे की जरूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत देखरेख योजनाएँ; रेफरल सेवाएँ और परिवार-आधारित पुनः एकीकरण या जब उपयुक्त हो स्वतंत्र जीवन के लिए तैयारी जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच मिल सके।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 19 (4ए) के अनुसार प्रत्येक सीएनसीपी के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना (आईसीपी) तैयार करना आवश्यक है, जिसमें विस्थापन के कारण आघात और हानि सहित विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

- जेजे नियमों के नियम 25 में, 18 वर्ष की आयु में संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले बच्चों के लिए पश्चात् देखरेख की भी व्यवस्था है जिसमें उनकी शिक्षा, रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट और उनके सामाजिक पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए रहने का स्थान प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-

संस्थागत देखरेख सेवाएं शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि में सहायता करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत सीएनसीपी को प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात् देखरेख के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को ऐसे मामलों में संज्ञान लेने और प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन जैसे "हीट वेव्स", "फ्लैश फ्लड", "भूकंप" आदि सहित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और वंचन से संबंधित मामलों में संबंधित अधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(1) (जे) के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है।

आयोग ने "बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर एक व्यापक मैनुअल" तैयार किया है और उसे परिचालित किया है। उपर्युक्त मैनुअल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा प्रकाशित "आपदा प्रबंधन हेतु गतिविधि पुस्तिका" का संदर्भ दिया गया है। एनसीपीसीआर के उक्त सुरक्षा मैनुअल की स्कूल सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट में "आग", "भूकंप", "बाढ़", "चक्रवात" और "भूस्खलन" जैसी आपदाओं से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता प्रदायगी सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए आवश्यक रसद (लॉजिस्टिक्स) और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं जिनमें बाढ़ और भूस्खलन शामिल हैं, की घटनाओं से प्रभावित लोगों को अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानकों के अनुसार वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि मुआवज़े के लिए। आपदा के बाद की दीर्घकालिक ज़रूरतों के लिए, राज्यों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) और पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्शन) निधि विंडो के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

****